राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1139/2014/अजमेर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, करापवंचन, उदयपुर।

बनाम

उपराजकीय अभिभाषक

श्री ओ.पी.दौसाया अधिकृत अभिभाषक

**उपस्थित**ःः श्री जमील जर्ड

मैसर्स गणेश टैक्सटाइल्स, ब्यावर। .....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

#### <u>एकलपीठ</u> श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

.....राजस्व की ओर से

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक 16.03.2017

#### निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त अपील्स, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 105/13–14/वेट/ब्यावर में पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, उदयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति राशि रूपये 98,892/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.06.2013 को अहमदाबाद हाइवे उदयपुर पर सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या एचआर 63 बी–1731 को चेक करने पर पाया कि उक्त वाहन में परिवहिनत माल सूरत से किशनगढ के लिये अधिसूचित श्रेणी कर कर योग्य माल यार्न परिवहनित होना पाया गया। वाहन चालक द्वारा पेश बिल्टी जी.आर.नं. 1079 दिनांक 13.06.2013 व बिल मैसर्स जी.एल.थ्रेड नवापुरा सूरत का इनवाइस नम्बर एमआर 39/13–14 दिनांक 13.06.2013 संलग्न वैट–47 क्रमांक ए–0888408 क्रेता फर्म मैसर्स गणेश टैक्सटाईल्स, ब्यावर द्वारा जारी किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया कि जारी वैट–47 की प्रविष्टियां अपूर्ण पाई गई। जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा जांच करने पर पाया कि जारी वैट–47 की प्रविष्टियां रिक्त पाई गई। जिसे सशक्त अधिकारी द्वारा घारा 76(2) के प्रावधानों की पूर्ति नहीं होने के कारण नियमानुसार धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी ने प्रस्तुत की अपीलय अधिकारी के उक्त आदेश कर आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी ने प्रस्तुत आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि लगातार......2

## अपील संख्या 1139/2014/अजमेर

अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

-: 2 :--

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण के संबंध में उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया साथ ही वैट 47 की जो प्रविष्टियां रिक्त पाई गई उन्हे व्यवहारी द्वारा नहीं भरा जाना था साथ ही उन कॉलमों से सम्बन्धित सूचनांए अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि उक्त परिवहनित माल पूर्ण रूप से वैध तरीके से खरीद किया गया है तथा प्रत्यर्थी की किसी प्रकार की करावंचन की कोई मंशा नहीं थी। व्यवहारी द्वारा खरीद माल बाबत वैट–47 विक्रेता को भेजा जाना बताया तथा वैट–47 के माल विक्रेता की मोहर, हस्ताक्षर व इनवाइस दिनांक माल की मात्रा माल के पैकेज दिनांक आदि की पूर्तियां थी। ऐसी स्थिती में व्यवहारी वैट–47 को दोहरा लाभ लेने की स्थिती में नहीं था। वैट–47 के एक–दो कॉलम खाली रह जाने की स्थिति में कर चोरी का कृत्य नही हो जाता। अपने तर्क के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को इस प्रकरण के तथ्यों के समान होने का तर्क करते हुए उल्लेख किया है जो इस प्रकार है :–

1. ACTO W-II Circle B, Alwar Vs M/s RECI Casting (Pvt.) Vhiwadi & Anr. निर्णय दिनांक 01. 08.2013 74 टैक्स अपडेट वोल्यूम 31 पार्ट–2

2. ACTO V/S M/s HINDUSTANI LEVER LTD AJMER & ANR निर्णय दिनांक 17.05.2013 टैक्स अपडेट वोल्यूम 37 पार्ट—7 पेज—9

प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस में निवेदन किया कि :--

(क) क्या आंशिक रुप से फार्म 47 के भरे होने की त्रुटि के लिये धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है?

(ख) क्या फार्म वैट 47 के ऐसे कॉलम जो माल के भेजने वाले अर्थात कन्साईनर के द्वारा भरे जाने के लिये निर्धारित है, उन कॉलमों के रिक्त पाये जाने के आधार पर माल के मंगवाने वाले अर्थात कन्साईनी पर शास्ति आरोपित की जा सकती है ?

विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उक्त लिखित जवाब के साथ स.वा.क.अ. बनाम रेबी कस्टिग प्राइवेट लिमिटेड SBSALES TAX REV. PET. NO. 400/2008 DATED 01-08-2013 को माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा धारा 78(5) पर दिये गये निर्णय का हवाला दिया जिसमें Material Particular के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि फार्म में सिर्फ बिल नं. व तारिख लिखना ही Material Particular की श्रेणी में नहीं आयेगा। Material Particular के लिये माल की किस्म, वजन, कीमत, एवं ट्रासंपोर्टर का नाम के साथ—साथ प्रेषक/प्रेषिति का विवरण अंकित होना आवश्यक है, जबकि हस्तगत प्रकरण में वैट—47 में बिल नं., माल की कीमत, माल की मात्रा, व नाम अंकित नहीं किये गये है। इसलिये हस्तगत प्रकरण में विद्वान प्रतिनिधि द्वारा उद्धरत न्यायिक निर्णय सहायता नहीं करते है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी के आदेश में स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, अजमेर एवं अन्य निर्णय दिनांक 17.05.2013 (TUD)VOL. 37 PART 7 PAGE 9 का हवाला देते हुये कहा

लगातार.....3

# अपील संख्या 1139/2014/अजमेर

कि फार्म 18A के बिल नं. व तारीख यदि खाली पाये जाते है एवं अन्य Material Particular भरे हुये है तो व्यवसायी पर धारा 78(5) की शास्ति आरोपण किया जाना उचित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी ने बिल नं. के साथ साथ माल की कीमत, माल का नाम, मात्रा. वजन, आदि Material Particular नहीं भरे है अतः माननीय उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय व्यवसायी को कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय (18 TUD 321) के कानूनी बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है :--

-: 3 :--

"In the present case the consignee (assessee) has left the requisite columns blank. Part-B has to be filled in by the consignor. Part-B Requires the consignor to give the estimated value of goods. He has also to give invoice number and the date. It is important to note that the declaration form is collected by the consignee from his A.O. in the State of Rajasthan. The consignee gives an undertaking to get part-B filled by the consignor. Similarly, the consignee gives a declaration that facts stated in part-A are true to his knowledge. In the present case, the entire form was left blank thought it has been signed by the consignee. Therefore, the declaration given by the consignee is meaningless. There are no facts given in Part-A There is no identity of the goods transported. There is no description of the goods in movement. As stated above, the original has to be placed before the A.O. by the officer at the check-post. If form which ultimately goes to the A.O. is blank in all material respects then is impossible for the A.O. to assess the dealer and it is this practice which has resulted in loss of revenue in crores to the State. Without description of the goods imported, it is easy to manipulate the value. If material articulars are not submitted, one fails to understand how assessment could be finalized. Moreover, as submitted on behalf of the State if has become a common practice to circulate the same form again and again resulting in loss of revenue to the State. It is for this reason that Rule 53 of the RST Rules 1995 contemplates the forms to be submitted duly filled in and duly completed. In the present case, the goods in movement were not supported by duly filled in form No. 18A/18C. Therefore, there was contravention of Section 78(2) of the 1994." The assesses were fully aware that the goods in movement has to Supported by Form ST 18A/18C. Therefore, they made the goods traveled with the forms However, the said forms are left blank in all material respects. therefore, A.O. was right in drawing inference of mens rea against the assesses been repeatedly argued before us that apart from the declaration forms the assesses possessed documentary evidence like invoice, books of accounts etc. to supports the movement of goods and, therefore, it was open to the assessees to show to the competent authority that there was no intention to evade the tax. We find no merit in this argument. लगातार.....4

## अपील संख्या 1139/2014/अजमेर

Firstly, we are concerned with contavention of Section 78(2)(a) which requires the goods in movement to travel with the declaration in Form 18A/18 duly filled in. It is Section 78(2)() which has been contravened in the present ease by the assesses by carrying th goods with blank forms though signed by the consignee. In fact, the assesses resorted to the above modus operandi to hoodwink the competent officer at the check-post. As stated above, if the form is left incomplete and it the description of the goods is not given then it is impossible for the assessing officer to assess the taxable goods. Moreover, in the absence of value/price it is not possible for the A.O. to arrive at the taxable turnover as defined under Section 2(42) of the said Act. Therefore, we have emphasized the words "material particulars" in the present case. It is not open to the assesses to contend that in certain cases of interstate transaction they were not liable in any event for being taxed under the RST Act 1994 and, therefore, penalty for contravention of section 78(2) cannot be imposed. As stated hereinabove, declaration has to be given in Form 18A/18C even in respect of goods in movement under interstate sales. It is for contravention of Section 78(2) that penalty is attracted under Section 78(5). Whether the goods are put in movement under local sales, imports, exports or interstate transactions. they are goods in movement, therefore, they have to be supported by the requisite declaration. It is not open to the assessee to contravene and say the goods were exempt. without disclosing the nature of transaction be said that the transaction was exempt. In the present case, we are only concerned with the goods in movement not being supported by the requisite declaration." हस्तगत प्रकरण में फार्म–47 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि व्यवहारी ने फार्म के पार्ट 'B' के कॉलम संख्या 2 में केवल दिनांक अंकित की है जिस पर भी विरंजक से उपरिलेखन किया है। इसके अलावा कॉलम 5 में माल की मात्रा अंकित की है शेष पूरा फार्म खाली रखा है अर्थात Material Particular की पूर्ण सूचना फार्म में अंकित नहीं की गई है। उपरोक्त माननीय सर्वोच्च

-: 4 :--

न्यायालय का मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज में दिये गये निर्णय इस प्रकरण में लागू होता है। 5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय के material particular के सम्बन्ध में सही व्याख्या नहीं की है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गुलजग इण्डस्ट्रीज के दिये गये निर्णय के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 08.01.2014 को अपास्त किया जाता है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.06.2013 बहाल किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

> (मदन लाल मालवीय) सदस्य